विचार बिन्दु

काम, क्रोध, मद, लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। –तुलसीदास

अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सफल अभियान पर स्थानीय व गैर सरकारी संगठनों को भी निभानी होगी जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ते हुए माइंस विभाग ने अरावली पर्वतमाला के 20 जिलों सहित 28 जिलों में 29 दिसंबर, 25 से 15 जनवरी, 2026 तक संयुक्त अभियान चलाकर स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि इस अभियान से पांच विभागों को जोड़ा गया और जिला कलक्टर के नेतृत्व में अभियान का संचालन किया गया। प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त ने अभियान की इस तरह की रुपरेखा तैयार की जिससे संबंधित सभी पांचों विभागों की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाईयां की गई और परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ अभियान में खान विभाग के साथ ही वन, राजस्व, परिवहन और पुलिस प्रशासन को जोड़ा गया और जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित एसआईटी की बैठकें आयोजित कर टीमों का गठन, समन्वय और कानून व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के लिए चलाया गया यह अभियान अलवर, खैरथल-तिजारा, झुन्झुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, कोटपूतली-बहरोड, अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, टोंक, कुचामन-डीडवाना, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में संचालित किया गया। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सरकार की सख्त नीति के चलते इस अभियान में डीग, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, चित्तोडगढ़, नागौर, जोधपुर आफर फलोदी को भी शामिल किया गया। अभियान के दौरान अवैध खनन, निर्गमन और भण्डारण सहित अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की गई। जब्त वाहन-उपकरण आदि के प्रकरणों में तीन दिन में कम्पाउण्ड राशि व एनजीटी द्वारा निर्धारित शास्ति जमा नहीं कराने पर संबंधित खनि अभियंता द्वारा एफआईआर दर्ज करवाने और 90 दिन में भी राशि जमा नहीं होने पर वाहन, उपकरण आदि राजसात करवाने की कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर द्वारा अवैध खनन गतिविधियों के संदर्भ में पूर्व में दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई सुनिश्चित कराने के साथ ही पूर्व में जब्त खनिजों की नीलामी की कार्रवाई करने को कहा गया। खातेदारी की भूमि पर अवैध खनन गतिविधियों पर खातेदारी निरस्त करने की कार्रवाई संबंधित राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया गया।

राज्य सरकार की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि इस अभियान से पांच विभागों को जोड़ा गया और जिला कलक्टर के नेतृत्व में अभियान का संचालन किया गया। प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त ने अभियान की इस तरह की रुपरेखा तैयार की जिससे संबंधित सभी पांचों विभागों की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाईयां की गई और परिणाम उत्साहजनक रहे हैं।

अभियान के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1445 प्रकरण दर्ज हुए और संबंधित पुलिस थानों में 320 एफआईआर दर्ज कराई गई। इस दौरान 140 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई। 82898 टन से अधिक अवैध भण्डारित खनिज जब्त किया गया। अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त 68 एक्सक्वेटर, जेसीबी सहित अन्य उपकरण जब्त किए गए और 1223 वाहन जब्त कर संबंधित पुलिस थानों को सुपुर्द किये गये। अभियान के दौरान जुर्माने के रुप में 9 करोड़ 86 लाख रुपए की वसूली कर राजकोष में जमा किए गए। यह तो एक तरह से भौतिक उपलब्धि रही है। पर इसके माध्यम से सरकार ने स्पष्ट मैसेज देने का प्रयास किया गया है।

अभियान से एक बात साफ हो जाती है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अरावली पर्वतमाला की पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जल पुनर्भरण और रेगिस्तानीकरण के विस्तार को रोकने में भूमिका को देखते हुए संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होने के साथ ही गंभीर है। इसी के साथ अवैध खनन गतिविधियों के प्रोन स्थानों को भी अभियान में शामिल कर साफ संदेश दिया गया कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन गतिविधियों को लेकर गंभीर है और सस्टेनेबल माइनिंग पर फोकस है ताकि खनन और पर्यावरण संरक्षण दोनों बने रह सके। अभियान की मोनेटरिंग प्रमुख सचिव माइंस रविकान्त द्वारा तो नियमित की ही जाती रही वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अभियान को लेकर गंभीर रहे।

अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ अभियान और अरावली के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता तो सामने आ ही चुकी है। सरकार के ईमानदार प्रयास में अभियान के माध्यम से सामने आये हैं। पर सरकार के साथ ही पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सरकार पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने वालों का पहले भी और आज भी यह दायित्व हो जाता है कि अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त तत्वों के खिलाफ मुखर होकर आगे आयें। आखिर पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता को बनाए रखने और अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त तत्वों के खिलाफ गैर सरकारी संगठन आगे आते हैं तो इससे ऐसे तत्वों पर सामाजिक और स्थानीय दबाव भी बनेगा और इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। सरकार की अपनी सीमा है। इसके अलावा यह भी सब जानते हैं कि अवैध खनन गतिविधियों वालों को कहीं ना कहीं से संरक्षण भी प्राप्त होता है। ऐसे में केवल सरकार पर जिम्मेदारी छोडने या सरकार को कोसने से काम नहीं चलने वाला है। यदि आवाज उठाने वालों की मंशा साफ और ईमानदारी की हो तो अवैध खनन जैसे हालात हो ही नहीं। कहीं ना कहीं हमें यह भी सोचना होगा कि अवैध खनन गतिविधियों पर स्थाई रोक के लिए वैध खनन को प्रोत्साहित करना होगा। इसके लिए सरकार को खनिज क्षेत्रों में ब्लाकों की नीलामी के कार्य में भी तेजी लानी होगी। एक्टिविस्ट संस्थाएं यदि स्थानीय स्तर पर सक्रिय होती है तो अवैध खनन गतिविधियां करने वाले वैसे ही हतोत्साहित होने लगेंगे। इसलिए सरकार या माइंस विभाग पर आरोप प्रत्यारोप के स्थान पर सभी को समन्वित प्रयास करने होंगे ताकि अवैध खनन गतिविधियों का नासूर का समय रहते ईलाज हो सके।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

राशिफल गुरूवार 22 जनवरी, 2026

पंडित अनिल शर्मा

माघ मास, शुक्ल पक्ष, चतुरथी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, शतभिषा नक्षत्र दिन 2:27 तक, वारियान योग सायं 5:38 तक, वणिज करण दिन 2:38 तक, चन्द्रमा आज कुम्भ राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-मकर, बुध-मकर, गुरू-मिथुन, शुक्र-मकर, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज रवियोग दिन 2:27 तक है। भद्रा दिन 2:38 से रात्रि 2:29 तक है। आज विनायक चतुर्थी, वरद और कुन्द चतुर्थी, तिल चौथ, पंचक, श्री गणेश पूजा है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:40 तक, चर 11:19 से 12:38 तक, लाभ-अमृत 12:38 से 3:17 तक, शुभ 4:37 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 7:20, सूर्यास्त 5:36

मेष

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

सिंह

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

धनु

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी।

कन्या

विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।

मकर

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

मिथुन
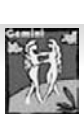
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

तुला

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा।

कुंभ

व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में अनावश्यक धन खर्च हो सकता है।

कर्क

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

वृश्चिक
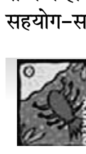
घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

राजस्थान युवा नीति-2026 विकसित राजस्थान @2047 को साकार करने का दस्तावेज

युवा शक्ति को आर्थिक विकास, रोजगार संवर्धन और नॉलेज का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए भजनलाल सरकार संकल्पबद्ध

अमृता कटारा

स्वामी विवेकानंद के युवा शक्ति को दिए कालजयी संदेश उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पढ़ो, स्किल सीखो, स्टार्ट-अप शुरू करो और युवाओं को रोजगार दो में बदल कर आजादी के अमृतकाल को युवाओं के सुनहरे दौर में बदलने का संकल्प लिया है। भारत में युवा विकास की गाड़ी का ग्रोथ इंजन है। विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य प्राप्ति में युवा, महिला, किसान और गरीब को मुख्य फैक्टर माना गया है। इससे बढ़कर गत 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राजस्थान युवा नीति- 2026 लॉंच की है, जिसमें युवा को ही वर्तमान और भविष्य की धुरी माना गया है।

यह नीति तकनीकी प्रगति, एआई, वैश्वीकरण और उभरती सामाजिक आर्थिक जीवंत परिस्थितियों के दौर में उपजी चुनौतियों को अवसर मानकर राज्य की युवा शक्ति की प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता, आकांक्षाओं और ऊर्जा को सही दिशा देकर उन्हें नये दौर की स्किल, उद्यमिता, क्रिएटिविटी और उत्तरदायित्व की भावना से जोड़कर राष्ट्र और राज्य विकास निर्माण में मुख्य स्टैक होल्डर बनाती है।

इस नीति में 18 से 29 आयु वर्ग को युवा माना गया है, जो राज्य की जनसंख्या का 27.20 प्रतिशत है। यह नीति वंचित वर्ग, जनजातीय और उपेक्षित समुदायों के युवाओं को समान अवसर प्रदान कर सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देती है तथा आज की ज्वलंत समस्या ड्रग्स, सड़क दुर्घटना जैसी चुनौतियों के समाधान का प्रयास करती है। यह नीति शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत युवाओं के साथ ही कृषि कार्य में लगे युवा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, गिग वर्कर्स, समुचित शिक्षा प्रणाली से बाहर रह गए युवा, युवा महिलाओं तथा गतिशीलता या देखभाल संबंधी बाधाओं का सामना कर रहे युवा को समान अवसर प्रदान करने वाली है।

स्वामी विवेकानंद युवा मिशन, 2026- राज्य सरकार इस नीति के उद्देश्यों को साकार करने हेतु स्वामी विवेकानंद युवा मिशन, 2026 शुरू करेगी। यह मिशन राज्य के युवाओं के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए सीखने, मेंटरशिप, नेतृत्व निर्माण, व्यक्तिगत विकास और व्यावसायिक अनुभव के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध होगा। इस मिशन के लिए 7 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 1. युवा शक्ति का नेतृत्व एवं सामाजिक उत्तरदायित्व, 2. डिजिटल सशक्तीकरण एवं तकनीकी नवाचार, 3. शिक्षा एवं कौशल विकास, 4. रोजगार, उद्यिमता एवं नवाचार, 5. खेल, स्वास्थ्य एवं कल्याण, 6. संस्कृति, विरासत एवं कला संवर्धन व 7. समावेशन एवं सामाजिक समानता चुने गए हैं। प्रत्येक स्तंभ युवाओं की प्रमुख विकास आवश्यकताओं को संबोधित करेगा तथा सामूहिक रूप से एक सशक्त, समावेशी और सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में कार्य करेगा।

युवा में लीडरशिप का विकास- डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हुए नेतृत्व एवं जीवन कौशल विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने वाला एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जाएगा। युवा संवाद और युवा संसद जैसे इंटरएक्टिव मंचों को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि युवाओं की भागीदारी बढ़े, उनकी आवाज़ को मंच मिले और उनकी आकांक्षाओं व चुनौतियों का समाधान किया जा सके। इस नीति के अंतर्गत ब्रांड एंबेसडर, यूथ आइकॉन, इन्फ्लुएंसर्स और रोल मॉडल्स को आमंत्रित किया जाएगा, जो नॉलेज शेयरिंग के माध्यम से युवाओं को प्रेरित और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। नेतृत्व विकास ढाँचे में नवाचारी शिक्षण कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाएगा, जिनमें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग, जैसे युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम शामिल होंगे ताकि सांस्कृतिक समझ, सामाजिक सद्भाव और वैश्विक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा सके।

सेवा करो, क्रेडिट अर्जित करो- यह नीति वॉलंटिरिज्म को नागरिक उत्तरदायित्व और सामाजिक एकजुटता का एक महत्वपूर्ण घटक मानती है। वॉलंटियर गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी से न केवल समुदाय सशक्त होगा बल्कि युवाओं में सहानुभूति, एकजुटता और उद्देश्य की भावना भी विकसित होगी।

वंचित वर्गों की पूर्ण भागीदारी- नेतृत्व के अवसर केवल औपचारिक रूप से नामांकित या शहरी युवाओं तक सीमित न रहें। इसके लिए ग्राम पंचायत एवं शहरी वार्ड स्तर के युवा क्लबों में कृषि युवाओं, असंगठित एवं गिग वर्कर्स, प्रवासी युवाओं और विद्यालयी शिक्षा से ड्रॉप आउट युवाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित होगी। ये युवा क्लब स्थानीय समस्याओं के स्थानीय समाधान भी खोजेंगे जिससे राज्य के विकास और विभिन्न अभियानों, मिशनों को नई गति मिलेगी।

वर्ष 2026-2031 के लक्ष्य- माय भारत एवं संबद्ध प्लेटफार्मों के अंतर्गत पंजीकृत युवा स्वयंसेवकों की संख्या को कम से कम 11,33,799 , एनएसएस में 3,63,040 तक बढ़ाना, एनसीसी में एनरोलमेंट 90,861 तक बढ़ाना, स्काउट्स एवं गाइड्स में युवा भागीदारी को कम से कम 2,41,577 तक बढ़ाना, जिससे कुल पंजीकृत स्वयंसेवक आधार कम से कम 9,66,306 हो सके। लगभग 8,500 ग्राम पंचायतों में युवा क्लबों को सशक्त बनाया जाएगा जिससे वे जमीनी स्तर पर युवा नेतृत्व और सामुदायिक सहभागिता के प्रभावी मंच के रूप में कार्य कर सकें।

तकनीक से सशक्तीकरण- आज के बलदते परिवेश में डिजिटल सशक्तीकरण और प्रौद्योगिकी जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बन चुके हैं। इसका प्रभाव शिक्षा, रोजगार, शासन, संचार और नवाचार सहित सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। युवाओं के लिए डिजिटल सशक्तीकरण केवल उपकरणों तक पहुँच तक सीमित नहीं है बल्कि यह उन्हें प्रौद्योगिकी-आधारित विश्व में सफल होने हेतु आवश्यक कौशल, प्लेटफार्म और अवसर प्रदान करने से जुड़ा है। डिजिटल साक्षरता का निर्माण और नवाचार को प्रोत्साहन यह सुनिश्चित करता है कि युवा अर्थव्यवस्था में सार्थक भागीदारी कर सकें, ऑनलाइन स्वयं को सुरक्षित रख सकें और वैश्विक चुनौतियों के समाधान में योगदान दे सकें।

स्वामी विवेकानंद युवा मिशन के अंतर्गत एक उप-मिशन डिजिटली एम्पावर्ड यूथ मिशन प्रारंभ किया जाएगा, जिसके तहत युवाओं में डिजिटल सशक्तिकरण और प्रौद्योगिकी जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु एक व्यापक ढाँचा विकसित किया जाएगा। इसके लिए राज्य के संबंधित विभागों के सहयोग से संरचित योजनाएँ प्रारंभ की जाएँगी।

युवाओं से संबंधित सभी सूचनाओं, सेवाओं और अवसरों के लिए स्वामी विवेकानंद युवा प्लेटफार्म नामक एक एकीकृत डिजिटल मंच विकसित किया जाएगा। एकीकृत लर्निंग मैनेजमेंट मॉड्यूल्स के माध्यम से परीक्षा तैयारी, बुनियादी डिजिटल कौशल और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुरूप समकालीन कौशलों का समर्थन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, इस प्लेटफार्म को युवा विकास केंद्रों और एक्सटेंशन हब्स से भी जोड़ा जाएगा ताकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से समग्र विकास को बढ़ावा मिल सके। युवाओं में नवाचार और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करने हेतु हैकाथॉन, प्रौद्योगिकी प्रतियोगिताएँ, डेमोन्स्ट्रेशन मीट्स और ज्ञान-साझा अभियान जैसे अतिरिक्त उपक्रम प्रारंभ किए जाएँगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 का लक्ष्य है कि वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत तक किया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस नीति के माध्यम से राज्य सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को प्राथमिकता देगा। शिक्षा और कौशल विकास, युवाओं को सही शैक्षणिक और कॅरियर विकल्प चुनने में सक्षम बनाने तथा शिक्षा को सुदृढ़ कर युवाओं के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में अवसरों के लिए तैयार करना भी इस नीति के लक्ष्य हैं।

युवा क्लबों और स्वामी विवेकानंद युवा प्लेटफार्म का उपयोग सुरक्षित ड्राइविंग, यातायात नियमों और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर अभियान, नशामुक्ति, ड्रग्स के खिलाफ अभियान, फिट इंडिया, जल संरक्षण अभियान में किया जाएगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या में कम से कम 12,187 की वृद्धि, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कम से कम 2,20,389 युवाओं का नामांकन। कौशल विकास कार्यक्रमों में कम से कम 1,24,881 युवाओं को प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कम से कम 85,802 तथा मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के अंतर्गत कम से कम 8,053 युवाओं को कौशल विकास सहायता प्रदान करना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के कौशल-संबद्ध घटकों के अंतर्गत कम से कम 15,558 युवाओं को समर्थन प्रदान करना। रोज़गार मेलों एवं संबद्ध रोजगार सुविधा तंत्रों के माध्यम से कम से कम 2,71,271 युवाओं का पंजीकरण, कम से कम 1,05,662 युवाओं के लिए रोजगार, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत कम से कम 23,36,910 युवाओं को आय सहायता प्रदान करना। आश्रम छात्रावासों के माध्यम से कम से कम 47,617, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से कम से कम 19,199, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के माध्यम से कम से कम 8,356 आदिवासी युवाओं को सहायता प्रदान करना। राज्य की न्यूनतम 53 ग्राम पंचातयों को वीमेन फ्रेंडली पंचायत के रूप में विकसित करना भी इस नीति का एक घटक है। आई-स्टार्ट, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की पहुंच का भी विस्तार किया जाएगा।

राज्य सरकार युवाओं को नई वैश्विक बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने, नियोक्ताओं से जोड़ने एवं प्रत्यक्ष भर्ती अवसर सृजित करने हेतु विशेष प्रयास करेगी। स्वास्थ्य और कल्याण युवा विकास की आधारशिला हैं। इस नीति के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक संतुलन को बढ़ावा दिया जाएगा। स्पोर्ट्स को शारीरिक फिटनेस, मानसिक दृढ़ता, टीमवर्क और अनुशासन को प्रोत्साहित करने के प्रभावी माध्यम के रूप में स्थापित किया जाएगा।

राजस्थान युवा नीति, 2026 का उद्देश्य पारस्परिक सम्मान पर आधारित एक न्यायसंगत एवं समतापूर्ण समाज का निर्माण करना है, जहाँ युवा स्वयं को सुरक्षित, समावेशित एवं अपने अधिकारों के प्रयोग हेतु सशक्त महसूस करें। यह नीति हाशिए पर स्थित समुदायों के समावेशन, लैंगिक समानता तथा हिंसा एवं शोषण से संरक्षण पर विशेष बल देती है।

निगरानी और समीक्षा तंत्र - युवा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा के लिए राजस्थान युवा बोर्ड नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। युवा मामले एवं खेल विभाग मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति का गठन किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। युवा मामले एवं खेल विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में एक कोर कमेटी गठित की जाएगी। समग्र रूप से देंखे तो यह नीति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राज्य के युवा को आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का खुला आमंत्रण और उन्हें यह भूमिका निभाने के लिए पूर्ण सक्षम बनाने का संकल्प है।

–अमृता कटारा, एपीआरओ,
डीआईपीआर

किलाबंदी का अधूरा अध्याय! "नीतिगत विफलता"

सुचित्रा आर्य

किलाबंदी की प्रक्रिया आरंभ हुए पच्चीस वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और लगभग ढाई दशक बाद भी किलाबंदी फिटिंग का कार्य शून्य पर है। यह न केवल प्रशासनिक विफलता का उदाहरण है, बल्कि जनता के धन के दुरुपयोग और किसानों की निरंतर पीड़ा का प्रतिबिंब भी है, क्योंकि करोड़ों रुपये व्यय होने के बावजूद किसान खाली हाथ बैठा है। नोहर-सिद्धमुख परियोजना की किलाबंदी-चकबंदी प्रक्रिया ज़ब विचाराधीन थी तब मैंने सरकार को पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया था कि जिस प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है वह तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण, अव्यावहारिक और विधिक रूप से असंगत है; सिंचाई संविधान के अनुसार राज्य का विषय है, जबकि WAPCOS न तो किसी राज्य विधि द्वारा मान्यता प्राप्त वैधानिक प्राधिकरण है, न उत्तरदायी संस्था, बल्कि सेवानिवृत्त इंजीनियरों का निजी संगठन है। इनके तैयार दस्तावेज़ न तो सरकारी हस्ताक्षिरत होते हैं, न प्रमाणिकता रखते हैं और न ही उत्तरदायित्व के दायरे में आते हैं। इसके बावजूद कंपनी को कार्य सौंपने का प्रस्ताव था, जो करदाता के धन का अनावश्यक और जवाबदेही से मुक्त उपयोग था।

चकबंदी और भू-सीमांकन के क्षेत्र में भारत में पहले से सिद्ध मॉडल मौजूद हैं-जैसे पंजाब-हरियाणा में चकबंदी, गंग कैनाल क्षेत्र, भाखड़ा परियोजना तथा प्रारंभिक इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इन सभी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जीटी सीट्स के आधार पर चकबंदी की गई। नोहर-सिद्धमुख क्षेत्र में भी उपलब्ध हैं और सिद्धमुख सिंचाई प्रणालियों का निर्माण व क्षमता निर्धारण इन्हीं शीट्स के आधार पर पहले ही किया जा चुका है। इसी आधार पर 13 अप्रैल 2001 को मैंने सरकार को लिखित सुझाव दिया था कि चकबंदी-किला बंदी फिटिंग का कार्य किसी प्राइवेट कम्पनी की बजाय भू-प्रबंध विभाग से करवाया जाए, चकबंदी और किलाबंदी जीटी शीट्स के आधार पर की जाए, क्योंकि यह मार्ग तकनीकी रूप से सटीक, व्ययहीन और पूर्णतः व्यवहारिक है, किंतु इसे लागू नहीं किया गया। ढाई दशक बीतने के बाद स्थिति और गंभीर हो चुकी है।

आज की सबसे गंभीर समस्या यह है कि किसान का 'रिकार्ड ऑफ राइट्स' खसरा व ग्राम आधार पर है और भूमि वर्गीकरण अनेक प्रकार का है। सर्वेक्षण विभाग व सिंचाई विभाग की चकबंदी में दर्शाया गया भूमि वर्गीकरण राजस्व रिकॉर्ड से मेल ही नहीं खाता है। इसी संदर्भ में WAPCOS द्वारा किए गए कार्य में मूलभूत तकनीकी त्रुटियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस कंपनी ने किलाबंदी फिटिंग रिकॉर्ड के आधार पर की, जबकि वास्तविक भूमि स्थिति का निर्धारण केवल मौके की पैमाइश (फील्ड मेजरमेंट) से संभव है। यह नियम-विरुद्ध एवं धरातल-विरोधी इसलिए है क्योंकि किसान खेत में ढाणियाँ, डिग्गियाँ, गोदाम आदि बनाता है, सरकार खेत एवं गाँव के रास्ते 3 गट्ठा तक मंजूर करती है और कृषि प्रयोजन तथा गैर-कृषि प्रयोजन वाली भूमि का रिकॉर्ड किसान के खाते में मुमकिन और गैर-मुमकिन रूप में दर्ज होता है जो बिना पेमाइस संभव नहीं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें मौके के रास्तों पर बनी हैं, कृषि व राजकीय भूमि पर वेयरहाउस, समितियों के भवन, विद्यालय व धार्मिक स्थल मौजूद हैं जिनका अभिलेखीकरण बिना पैमाइश संभव नहीं। स्टेट/नेशनल हाईवे और रेलवे भूमि खसरे में दर्ज है जिसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में चक, मुरब्बा और किलो में अंकन होता है। रकबा जेर आमदा और नहर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में आएगा जिसका अंकन भी मुरब्बा, चक और किलो में होता है और यह अद्यतन केवल मौके की पैमाइश से दर्ज होता है। इन सभी तथ्यों के रहते महज रिकॉर्ड आधारित, बिना भू-सर्वेक्षण के किलाबंदी तकनीकी रूप से अमान्य है।

जिन अधिकारियों ने WAPCOS को कार्य सौंपने की सिफारिश की, वे इस कार्य की महत्ता व कानूनी पहलुओं से अनभिज्ञ थे। उन्होंने यह नहीं देखा कि कंपनी किस कानून के तहत उत्तरदायित्व व जवाबदेही में लाई जाएगी। परिणामस्वरूप राजकोष से धन व्यय हुआ पर अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। यहाँ नीतिगत समन्वय का अभाव भी उतना ही गंभीर है। सिंचाई परियोजनाओं के साथ ही किलाबंदी पूर्ण होनी चाहिए थी, किंतु नहरों के निर्माण के वर्षों बाद भी किलाबंदी नहीं हुई। इसके चलते निशानदेही, भूमि कब्ज़ा परिवर्तन, सीमा निर्धारण और रिकॉर्ड सुधार में गंभीर जटिलताएँ उत्पन्न हैं। इसी संदर्भ में यह तकनीकी तथ्य सटीक लागू होता है कि यदि किलाबंदी पूर्ण किए बिना खालों का निर्माण किया गया है और सिंचाई विभाग द्वारा उपयोग किए गए चक प्लान वास्तविक भू-स्थिति से मेल नहीं खाते, तो भविष्य में गंभीर प्रशासनिक, तकनीकी और राजस्व संबंधी जटिलताएँ उत्पन्न होना निश्चित है। किलाबंदी कार्य भू-सीमांकन और पैमाइश की विशेषज्ञ प्रक्रिया है, जिसे केवल भू-प्रबंध विभाग के प्रशिक्षित सर्वेयर ही दक्षता से कर सकते हैं। अतः यह कार्य कंपनी से हटाकर भू-प्रबंध विभाग को दिया जाना चाहिए तथा कार्यान्वयन एवं विवाद निस्तारण हेतु नोहर-भादरा-साहवा-रावतसर में भू-सेटलमेंट तहसील का गठन आवश्यक है। वास्तविकता यह है कि देरी के साथ समस्या और जटिल होती जाएगी और इसका बोझ अंततः किसानों पर पड़ेगा। किलाबंदी सिर्फ राजस्व कार्य नहीं-यह सिंचाई व्यवस्था, कृषि उत्पादन, भूमि अधिकार, सरकारी योजना, कानूनी वैधता और प्रशासनिक शासन से जुड़ा बहुआयामी विषय है। अतः राजनीतिक इच्छाशक्ति, तकनीकी निर्णय और प्रशासनिक जवाबदेही बिना, किसानों को वास्तविक लाभ संभव नहीं।

–सुचित्रा आर्य,
पूर्व विधायक।

प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश के आसार

श्रीगंगानगर, (निसं)। प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में 22 से 24 जनवरी के दौरान एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अलग-अलग क्षेत्रों में मावठ रूपी बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान में भी दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी तथा एक बार फिर से ठंड का प्रभाव बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस दौरान बादलवाही के चलते रात के तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी फसलों में पाले की मार की आशंका भी नहीं रहेगी।

वहीं जिले में दिनभर सुहावनी धूप खिली रही। इस कारण एक तरफ जहां आमजन को ठंड से राहत मिली वहीं, दूसरी ओर अधिकतम तापमान भी गत दिवस से 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 22.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं न्यूनतम पारा 8.3 डिग्री रहा। एक दिन पहले यह 7 डिग्री सेल्सियस था। कृषि अनुसंधान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक रघुवीरसिंह मीणा ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार आगामी 22 से 24 जनवरी के दौरान बारिश होने के आसार हैं। बारिश हुई तो जिले में 7.50 लाख हेक्टेयर में बोई रबी फसलों को फायदा होगा। इससे एक तरफ जहां सिंचाई पानी की मांग पूरी होगी वहीं, फसलों की बढ़वार भी अच्छी हो सकेगी।

बीकानेर में 7.1 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान दर्ज :- बीकानेर शहर में बुधवार को मौसम पूरी तरह साफ रहा। लगातार तीन दिन तक घने कोहरे के बाद बुधवार सुबह साढ़े सात बजे हल्की धूप खिली। धूप निकलते ही लोगों को सर्दी से कुछ राहत मिली और दिन की शुरुआत पहले की तुलना में बेहतर रही। मंगलवार देर रात तक हल्का कोहरा छाया रहा, लेकिन सुबह होते-होते इसका असर खत्म हो गया। इससे पहले पिछले तीन दिनों तक सुबह आठ बजे से शहर में घना कोहरा छा जाता था, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा था। वाहन चालकों को भी विजिबिलिटी कम होने से परेशानी झेलनी पड़ रही थी।

बुधवार को बीकानेर का अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से कम होने के कारण सुबह और रात के समय अभी भी ठंडक महसूस की जा रही है। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को काफी राहत मिली। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल दिन में धूप निकलने से राहत बनी रहेगी, लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। आने वाले सप्ताह में तापमान में फिर से गिरावट आने की संभावना जताई गई है। अनुमान है कि सात दिन बाद बीकानेर में कड़ाके की ठंड लौट सकती है। खासकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के आसपास सर्दी का असर तेज हो सकता है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है।